पत्रांक-बी०एस०यू०(निदेश)- 25/2016-- जी०एस०(I) दिनांक-

सेवा में

सभी कुलपति,

सभी प्रतिकुलपति,

सभी कुलसचिव

बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय ।

विषय:-राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण को अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन/अपील को विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय कुलाधिपति महोदय को समर्पित करने के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण के द्वारा अपनी समस्या एवं अन्य विषयों के संबंध में आवेदन-पत्र एवं शिकायत सीधे माननीय कुलाधिपति महोदय को प्रेषित किया जा रहा है । यह एक स्वस्थ्य प्रशासनिक पद्धति नहीं है।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समस्या के निराकरण के संबंध में इस सचिवालय के पत्रांक-बी०एस०यू०--33/2016-183/जी०एस०(I), दिनांक 11.01. 2007 एवं पत्रांक-बी०एस०यू०-21/2015 1562/जी०एस०(I), दिनांक 09.11.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पूर्व में समुचित निदेश दिया गया था ।

विश्वविद्यालय स्तर पर पेंशन तथा छात्र कल्याण के लिए कोषांग गठित करने के साथ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण की शिकायतों के निराकरण हेतु भी कोषांग गठित करने का निदेश दिया गया था । ऐसी परिस्थिति में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं/शिकायतों को लेकर उक्त कोषांग में आवेदन समर्पित करेंगे । इस प्रशासनिक व्यवस्था से शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगण विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों से संबंधित सभी आवेदन या शिकायतें, जो पेंशन या छात्र कल्याण कोषांगों द्वारा आच्छादित नहीं है, उनका निराकरण उक्त शिकायत निवारण कोषांग से होना है।

इस व्यवस्था के तहत शिकायतकर्त्ता का आवेदन शिकायत निवारण कोषांग में समर्पित होगा, जिस पर समुचित विचार कर आदेश पारित किया जाना है । इस पद्धति से अपेक्षा है कि तत्संबंधी शिकायतों का निवारण पंजीकृत हो एवं समुचित विचार के बाद निष्पादित होगा । यह एक बेहतर प्रशासनिक पद्धति है । ज्ञातव्य हो कि तत्संबंधी शिकायत मूलतः विश्वविद्यालय

अथवा इसके अधीनस्थ या संबंधित महाविद्यालयों के कार्यकलाप से संबंधित होती है । अतः उसी स्तर पर उनका शीघ्र निष्पादन संभव है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था State Litigation Policy, 2013–14 के अनुरूप है ।

इस विषय पर दिनांक 14.05.2016 को राजभवन, पटना में आयोजित कुलपतियों की बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया । उक्त बैठक में सर्वसम्मति से पाया गया कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारीगणों द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय को सीधे पत्राचार करने या मुलाकात करने का प्रयास एक स्वस्थ्य पद्धति नही है । यह भी निर्णय लिया गया कि इसे रोकने (Discourage) के लिए आवश्यक दिशा–निदेश निर्गत किया जाए ।

अतः सभी विश्वविद्यालयों को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया जाए । इनमे शिकायतों के पंजीकरण के बाद समुचित विचार कर उचित निर्णय/आदेश पारित किया जाना है । शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित है ।

निदेशानुसार, इस कोषांग के गठन एवं समुचित संचालन के साथ–साथ इस व्यवस्था के संबंध में अपेक्षित प्रचार–प्रसार भी किया जाए । इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय में सीधे समर्पित आवेदन अथवा माननीय कुलाधिपति महोदय से सीधे मिलकर व्यक्त की गई शिकायत पर सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

शिकायत निवारण कोषांग के निर्णय से यदि आवेदक असंतुष्ट हों तो उक्त निर्णय के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियमों के सुसंगत धाराओं के तहत माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष अपील अथवा पुनर्रीक्षण दायर किया जा सकता है ।

यह भी निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया एवं निदेश के विरूद्ध सीधे लिखित या मौखिक रूप से माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष शिकायत समर्पित करने के पक्ष में उनके विरूद्ध उचित, अनुशासनिक कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद)
राज्यपाल के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–बी०एस०यू०(निर्देश)–25/2016–1023/रा०स०(1) दिनांक 31.05.2016

प्रतिलिपिः–

1. वैज्ञानिक(डी०)–सह–प्रभारी, कम्प्युटर कोषांग को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।
2. जन सम्पर्क पदाधिकारी, राजभवन, बिहार, पटना को बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।
3. राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय शाखा के सभी सहायकों/कार्यालय पुस्त को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

31/5/16
(अहमद महमूद)
विशेष कार्य पदा०